



IV 8/822



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 998222



कानपुर विकास प्राधिकरण


पट्टागत प्राधिकरण भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

कानपुर विकास प्राधिकरण की भूखण्ड से सम्बद्ध

भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु यह फ्रीहोल्ड विलेख सन् 2007 ई०के . दिसम्बर . मास के . पान्च वें दिन कानपुर विकास प्राधिकरण } जिनको यहाँ आगे चलकर विक्रेता कहा गया है} प्रथम पक्ष तथा मेसर्स सिंह ब्रदर्स वदारा पार्टनर श्री चरनजीत सिंह आत्मज श्री चरनजीत सिंह निवासी 1-ए ब्लॉक -एम, गोविन्दनगर, कानपुर } जिनको यहाँ आगे चलकर क्रेता कहा गया है} द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है ।


जनरल स्टाम्प रु० . ६००/- संलग्न है ।

ATTESTED PHOTO COPY



[Handwritten signature]

... 2. पर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 -

V 032295

चूंकि कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड एवं मेसर्स सिंह ब्रदर्स के पार्टनर श्री त्रिलोचन सिंह के मध्य निष्पादित पट्टाविलेख दिनांक 30.5.59 जो बही सं०-1 जिल्द सं० 2058/2047 के पृष्ठ सं० 32/1289/1332 पर विलेख सं० 5811/5812 के रूप में सब रजिस्टार कानपुर के कार्यालय में दिनांक 11.11.59 को रजिस्टर्ड है जिसे आगे चलकर पट्टाविलेख कहा गया है और जिसमें कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड को पट्टादाता और मेसर्स सिंह ब्रदर्स के अधिकृत पार्टनर श्री त्रिलोचन सिंह को पट्टेदार कहा गया है, अब उपरोक्त पार्टनरशिप में दिये गये वर्तमान पार्टनर श्री परमजीत सिंह को अधिकृत पार्टनर नियुक्त किया गया है, के अनुसार क्रेता पट्टाविलेख की अनुसूची में वर्णित मूखण्ड से सम्बद्ध भूमि जिसे आगे चलकर सम्पत्ति कहा गया है, एवं जिसे इस विलेख की अनुसूची में भी वर्णित किया गया है, का पट्टेदार है/के पट्टेदार है पट्टागत भूमि का क्रेता/वध अन्तर्गता है।



SDC

Parrajit Singh

... 3. पर

ATTESTED
PHOTO COPY.

भूखण्ड/भवन सं० 1-ए

ब्लाक सं० एम

योजना सं० 1, गौविन्दनगर

और चूकि क्रेता ने इस विलेख की सूची में वर्णित भूखण्ड/भवन जिसका कि वह पट्टेदार/जिसके पट्टेदार से पट्टागत भूमि/भवन का वह वैध अन्तरिति है, को प्राधिकरण की भूमि/भवन के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या 1639/1-आ-95-80 मिस/86 दिनांक 10.5.95 एवं शासनादेश संख्या 1778/9-आ-1-95-213/डी-ए.94 दिनांक 24.5.95 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्रीहोल्ड निजी स्वामित्व घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, कानपुर, को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है।

और चूकि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में सम्पूर्ण देय लीज रेंट का भुगतान विक्रेता को कर दिया गया है जिसकी प्राप्त विक्रेता एतद द्वारा स्वीकार करता है।

और चूकि क्रेता द्वारा भूखण्ड/भवन से सम्बद्ध भूमि के कुल मूल्य रु० 48,630.00

रु० अड़तालिस हजार छः सौ तीस ₹ के बराबर प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क

रु० 5,836.00 ₹ रु० पाँच हजार आठ सौ छत्तीस ₹-----

केवल का भुगतान भी विक्रेता को कर दिया है जिसकी प्राप्त विक्रेता एतद द्वारा स्वीकार करता है

और चूकि क्रेता द्वारा भूखण्ड/भवन के कुल निर्धारित मूल्य रु० 48,630.00

₹रु० अड़तालिस हजार छः सौ तीस ₹-----

का भुगतान भी विक्रेता को कर दिया है अतः विक्रेता ने क्रेता को इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/भवन संख्या 1-ए ब्लाक संख्या एम योजना संख्या 1, गौविन्दनगर कानपुर कुल क्षेत्रफल 4,863.0 वर्ग मी. वर्ग मी/वर्ग मी/वर्ग मी पर आगे अभिव्यक्त शर्तों के आधीन आर्थिक/सामाजिक/सांस्कृतिक/शैक्षणिक प्रयोजन हेतु निजी स्वामित्व देना (फ्रीहोल्ड करना) सचिव महोदय के आदेश दिनांक 5-12-07 द्वारा स्वीकार कर लिया है।

59c

Ramkant Singh



ATTESTED
PHOTO COPY

भूखण्ड/प्रवर्ग/सं० 1-ए

ब्लॉक सं०

एम

योजना सं० 1, गीविन्दनगर

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-१९७३ के अधीन निम्नादित यह विलेख साक्षी है कि यदि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति क्रेता के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को फ्रीहोल्ड शुल्क सहित भूखण्ड/भवन के सम्पूर्ण मूल्य के किये गये भुगतान के प्रति फलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसविदाओं और शर्तों जिनका पालन करेगा, की ध्यान में रखकर विक्रेता एतद् द्वारा वह सट सम्पत्ति उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है, और स्पष्टीकरण हेतु जिसका साइट प्लान इस विलेख के साथ संलग्न है, फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता उसके दायधिकारी तथा समनुदेशितों सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख के निष्पादन के दिनांक 5-12-07 से इसकी अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा और तदनुसार क्रेता उस भूखण्ड को प्रभावी विधिक नियमों एवं विनियमों के अधीन रहते हुए अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने अथवा हस्तान्तरण के लिए स्वतन्त्र रहेगा।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों का अथवा उस पर भविष्य में लगाये गये/जाने वाले करों का भुगतान क्रेता करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके विषय में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठा खड़ा तो वह निर्णय हेतु कानपुर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

यदि किसी समय/अवसर पर यह पाया जाता है कि क्रेता ने किसी तथ्य को छिपाकर अथवा निम्ना तथ्यों के आधार पर अथवा झुटिपूर्ण प्रस्तुतिकरण अथवा धोखधड़ी के आधार पर यह विलेख निम्नादित किया है तो यह विलेख प्राधिकरण के विकल्प (आपान) पर निष्प्रभावी/शून्य हो जाएगा ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को यह विलेख निरस्त करने तथा क्रेता द्वारा भूमि/भवन, क्रय किये जाने हेतु प्राधिकरण को किया गये भुगतान की धनराशि को जब्त करने का अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा एवं क्रेता पर बाध्य होगा तथा किसी भी विधिक अथवा अन्य कार्यवाही में इस प्रकरण का विवाद नहीं उठाया जाएगा।



ATTESTED
PHOTO COPY

Ramprasad Singh

खुण्ड/अर्जन सं० 1-ए

ब्लाक सं० एम

योजना सं० 1, गौ त्रिन्दनगर

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यव होगा, क्रेता वहन करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है इस विलेख में प्रयुक्त शब्द 'विक्रेता' और 'क्रेता' के संबंध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, 'विक्रेता' में उसके उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा 'क्रेता' में उसके दाय्याधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्त भाव हों।

यदि आवंटित भूमि विधिवत अर्जित की गई और अर्जित भूमि का मुआवजा भी दिया जा चुका है, फिर भी यदि पूर्व भू-स्वामी द्वारा विधि अर्जित भूमि से सम्बन्धित कोई सन्दर्भ/अपील/समादेश याचिका/विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गई और किसी भी न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिणत स्वरूप मुआवजा राशि (प्रतिकर), तोषण (सोलैसियम) एवं इस मद में ब्याज आदि की कोई वृद्धि का आदेश दिया गया तो उसके भुगतान का दायित्व स्वतः क्रेता का होगा तथा इसके भुगतान हेतु क्रेता सहमत है एवं प्रसवेद करता है कि उपर्युक्त वृद्धि की गई राशि का भुगतान धारित भूमि के क्षेत्रफल भू-विन्यास (ले-आउट प्लान) के अनुपातिक उधार पर करने हेतु बाध्य है। उपर्युक्त परिस्थितियों में विक्रेता द्वारा एतदर्थ माँगपत्र प्रेषित किया जाएगा तथा क्रेता को उक्त माँग-पत्र प्रेषित किया जाएगा तथा क्रेता को उक्त माँग पत्र सर्वथा मान्य होगा और माँग-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान माँग-पत्र की प्राप्ति के तीन माह की अवधि में कर देगा। यदि उक्त धनराशि क्रेता द्वारा निर्धारित समयावधि में अदा नहीं की जाती तो विक्रेता को अधिकार होगा कि वह याचित धनराशि भू-राजस्व के रूप में वसूल कर लें।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता ने और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है।

इसमें अधिदिष्ट अनुसूचि निम्नांकित है।

खुण्ड/अर्जन संख्या 1-ए ब्लाक संख्या एम
योजना संख्या 1, गौ त्रिन्दनगर स्थित मोहल्ला गौ त्रिन्दनगर
..... कुल क्षेत्रफल 4863.0 वर्ग गज जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

पूरव : 40°0 फीट सड़क ॥ चा लीस ॥
पश्चिम : 50°0 फीट सड़क ॥ पचास ॥
उत्तर : 20 सें 2 ॥ दो ॥
दक्षिण : 50°0 फीट सड़क ॥ पचास ॥

Ranjit Singh
क्रेता के हस्ताक्षर

[Signature]
प्राधिकरण की ओर से तथा उसके द्वारा प्राधिकृत
(*श्री १०१०१०१०१०१०*)

नाम : मेहसू सिंह ब्रदर्स द्वारा
पत्त : अधिकृत पं. टनर परमजोत सिंह
1-ए, ब्लाक-एम, गौ त्रिन्दनगर
कानपुर ।

साक्षी (१) *[Signature]* साक्षी (२) *[Signature]*
साक्षी (१) *[Signature]* साक्षी (२) *[Signature]*
Zone-3

आम प्रकाश जैन-3
KDA



ATTACHED
ENCLOSURE

भवन सं० / भूखण्ड सं०

18

ब्लाक

111

योजना श्री विद्यालय


विकेता पक्ष (प्रथम पक्ष)
कानपुर विकास प्राधिकरण
द्वारा प्राधिकृत

केता पक्ष (द्वितीय पक्ष)
श्री 0158 3301 3301
श्री. राजेश्वरी

श्री आर.एन. बाजपेयी
विशेष कार्याधिकारी (जोन-3)

बायें हाथ का अंगूठा एवं
उंगलियों के निशान

दायें हाथ का अंगूठा एवं
उंगलियों के निशान



दायें हाथ का अंगूठा एवं
उंगलियों के निशान

बायें हाथ का अंगूठा एवं
उंगलियों के निशान



विशेष कार्याधिकारी (जोन-3)

Ranjit Singh
केता के हस्ताक्षर



PHOTO COPY

कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड

प्लान संख्या 1-1958

जमीन का चित्र

भूमि का चिट नम्बर I-A GOVIND NAGAR


खोजना संख्या 1

भूमि का क्षेत्रफल 4.863

वर्ग मीटर

ब्लॉक नम्बर 'M'

उद्योग- CINEMA



Ranjit Singh

Sd/- R.P. Dixit

सौटे की जांच करने वाले :- *Sharma*

क्षेत्रफल की जांच करने वाले :- *R.P. Dixit*

नकशा निर्माता :- *Krishna*
3/1/58

Rashid
नकशा विभाग सुपरिन्टेन्डेंट :-

M. Singh
अधिकारी



ATTESTED PHOTO COPY